भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली

26 मार्च, 2025 को अपराह्न 03:00 बजे सीनेट कक्ष में आयोजित सीनेट की 232वीं बैठक के कार्यवृत्त

सीनेट की 232वीं बैठक 26 मार्च 2025 को अपराह्न 3:00 बजे सीनेट कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों/विशेष आमंत्रितों के नाम **[परिशिष्ट-अ]** में दिए गए हैं।

गणपूर्ति न होने के कारण बैठक 3:05 बजे स्थगित कर दी गई तथा 3:10 बजे पुनः शुरू की गई।

आरंभ में, सीनेट अध्यक्ष ने निवर्तमान (पद छोड़ने वाले) सदस्यों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद दिया और नए सदस्यों का सीनेट में स्वागत किया। निवर्तमान (पद छोड़ने वाले) और नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची **[परिशिष्ट-ख]** में दी गई है।

मद संख्या 1: 19.02.2025 को आयोजित सीनेट की 231वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

19 फरवरी 2025 को आयोजित सीनेट की 231वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई, जिसमें मानविकी (एचयू) श्रेणी के पाठ्यक्रमों के संबंध में मद संख्या 2(ii) के कार्यवृत्त में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए:

रिकॉर्ड किए गए कार्यवृत्त	संशोधित कार्यवृत्त
मद 2(ii): नए पाठ्यक्रम के लिए अवधारणा नोट पर विचार और चर्चा करना। मानविकी (एचयू) श्रेणी के पाठ्यक्रमों की संरचना के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। विस्तृत चर्चा के बाद, सीनेट ने निम्नलिखित निर्णय लिए: **1.** दो बास्केट होंगे: (i) मानविकी (HU) और (ii) स्वयं, समाज और विश्व (SSW)। इन बास्केट में क्रेडिट की संख्या क्रमशः 9 और 6 या 12 और 3 हो सकती है, जिसका निर्धारण AU द्वारा अपने कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। HU बास्केट में HUSS विभाग के पाठ्यक्रम होंगे, जबकि SSW बास्केट में HUSS, DMS, SoPP, CRDT, डिज़ाइन और NRCVEE के पाठ्यक्रम हो सकते हैं। पाठ्यक्रम आमतौर पर लोक नीति, ग्रामीण विकास, प्रबंधन, डिज़ाइन, मूल्य शिक्षा, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में होंगे (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं)। 2. कार्यान्वयन के उद्देश्य से, SSW श्रेणी में पाठ्यक्रम शामिल करने वाली शैक्षणिक इकाइयों को प्रत्येक सेमेस्टर में शामिल पाठ्यक्रमों में आवश्यक संख्या में सीटें आवंटित करनी होंगी ताकि इस श्रेणी में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। SSW श्रेणी के पाठ्यक्रमों पर निर्णय लेने के लिए एक	**मद 2(ii): नए पाठ्यक्रम के लिए अवधारणा नोट पर विचार और चर्चा करना।** मानविकी (एचयू) श्रेणी के पाठ्यक्रमों की संरचना के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। विस्तृत चर्चा के बाद, सीनेट ने निम्नलिखित निर्णय लिए: इसमें दो बास्केट होंगे (i) मानविकी (एचयू) और (ii) स्वयं, समाज और विश्व (एसएसडब्लू)। 1. मानविकी (एचयू) बास्केट में एचयूएसएस विभाग के पाठ्यक्रम शामिल होंगे, जबकि SSW बास्केट में HUSS, DMS, SoPP, CRDT, डिज़ाइन और NRCVEE सहित अन्य द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम शामिल होंगे। SSW बास्केट के पाठ्यक्रम लोक नीति, ग्रामीण विकास, प्रबंधन, डिज़ाइन, मूल्य शिक्षा, और मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में होंगे (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं)। HU और SSW बास्केट में क्रेडिट की संख्या क्रमशः 9 और 6 या 12 और 3 होगी। यह निर्णय इस बात का आकलन करने के बाद लिया जाएगा कि SSW बास्केट में सीटें आवश्यकताओं को पूरा करती हैं या नहीं; विचाराधीन सुझाव थे: (i) सभी कार्यक्रमों के लिए एक समान नीति (ii) संबंधित कार्यक्रमों के लिए एयू का निर्देश

समिति होगी। सीनेट ने मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग के डीएफबी कार्यवृत्त पर भी ध्यान दिया, जिसमें एचयू श्रेणी के क्रेडिट को मौजूदा 15 क्रेडिट से कम करने का समर्थन नहीं किया गया है।	2. कार्यान्वयन के उद्देश्य से, SSW बास्केट में पाठ्यक्रम जारी करने वाली शैक्षणिक इकाइयों को प्रत्येक सेमेस्टर में अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में आवश्यक संख्या में सीटें उपलब्ध करानी होंगी ताकि इस बास्केट में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। SSW बास्केट में शामिल पाठ्यक्रमों पर निर्णय लेने के लिए एक समिति होगी। सीनेट ने मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग के डी.एफ.बी. कार्यवृत्त पर भी ध्यान दिया, जिसमें एच.यू. श्रेणी के क्रेडिटों को मौजूदा 15 क्रेडिटों से कम करने का समर्थन नहीं किया गया है।

मद संख्या 2: सीनेट की पिछली बैठकों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट

बैठक में सीनेट की पिछली बैठकों के निम्नलिखित मामलों पर की गई कार्रवाई प्रस्तुत की गई:

i. **जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव का पता लगाने के लिए समिति की सिफारिश पर विचार करना।**
बताया गया कि सेवा प्रदाता से कोटेशन प्राप्त हो गया है तथा शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

ii. **नए पाठ्यक्रम के लिए अवधारणा नोट पर विचार और चर्चा करना**
यह बताया गया कि पाठ्यक्रम के विभिन्न मोर्चों पर प्रगति निम्नलिखित एजेंडे में है।

iii. **डिप्लोमा प्राप्त होने के बाद भी पढ़ाई जारी रखने का अनुरोध**
बताया गया कि मामला विचाराधीन है।

iv. **नए पाठ्यक्रम के अनुसार एम.टेक. और एम.एस.(आर) कार्यक्रम टेम्पलेट्स पर विचार करना।**
कार्यवृत्त मद संख्या 12 और 13 पर देखे जा सकते हैं।

v. **चार वर्षीय बी.एस. डिग्री वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय संस्थानों में अनुसंधान कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्रता मानदंड में संशोधन के संबंध में शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करना।**
बताया गया कि प्रस्ताव शैक्षणिक इकाइयों को टिप्पणियाँ/प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। केवल कुछ ही टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। सीनेट ने शैक्षणिक संस्थाओं से शीघ्रातिशीघ्र अपनी टिप्पणियाँ प्रदान करने का अनुरोध किया।

vi. **जैव-चिकित्सा इंजीनियरी केंद्र से जैव-चिकित्सा इंजीनियरी के एक लघु क्षेत्र से संबंधित प्रस्ताव पर विचार करना।**
सीनेट को सूचित किया गया कि पिछली बैठक में कुछ बदलावों के साथ इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। संशोधित प्रस्ताव नीचे दिए गए लिंक पर दिया गया है:
https://owncloud.iitd.ac.in/nextcloud/index.php/s/jE64RcdYYpgeb4T

मद संख्या 3: वस्त्र एवं रेशा इंजीनियरी विभाग के बी.टेक. कार्यक्रम का नाम वस्त्र प्रौद्योगिकी में बी.टेक. से बदलकर "वस्त्र एवं फाइबर इंजीनियरी में बी.टेक." करने के प्रस्ताव पर विचार करना।

सीनेट ने वस्त्र एवं रेशा इंजीनियरी विभाग के प्रस्ताव के संबंध में बी.टेक. कार्यक्रम का नाम वस्त्र प्रौद्योगिकी में बी.टेक. से बदलकर "वस्त्र एवं रेशा इंजीनियरी में बी.टेक." करने के संबंध में बी.ए.पी. की सिफारिशों पर विचार किया। विचार-विमर्श के बाद, प्रस्ताव को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भेज दिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि डिग्री के नामकरण में प्रस्तावित परिवर्तन शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रवेशित बैच से प्रभावी होगा।

संकल्प संख्या 2025/232/1:	यह निर्णय लिया गया कि वस्त्र एवं रेशा इंजीनियरी विभाग के बी.टेक. कार्यक्रम का नाम वस्त्र प्रौद्योगिकी में बी.टेक. से बदलकर "वस्त्र एवं रेशा इंजीनियरी में बी.टेक." करने के प्रस्ताव को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को अनुशंसित किया जाए।

मद संख्या 4: वस्त्र एवं रेशा इंजीनियरी विभाग द्वारा प्रस्तावित दो एम.टेक. कार्यक्रमों अर्थात् एम.टेक. (फाइबर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) और एम.टेक. (वस्त्र रासायनिक प्रसंस्करण) को एक एकल कार्यक्रम, एम.टेक. (फाइबर इंजीनियरी **एवं वस्त्र रासायनिक प्रसंस्करण) में विलय करने के प्रस्ताव पर विचार करना**।

सीनेट ने दो एम.टेक. कार्यक्रमों अर्थात् एम.टेक. (फाइबर विज्ञान और प्रौद्योगिकी) और एम.टेक. (टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग) को एक एकल कार्यक्रम, एम.टेक. (फाइबर इंजीनियरी और टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग) में विलय करने के लिए वस्त्र और फाइबर इंजीनियररी विभाग के प्रस्ताव के संबंध में बीईआरपी की सिफारिशों पर विचार किया।

विचार-विमर्श के बाद, प्रस्ताव को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भेजा गया। बताया गया कि छात्रों की संख्या समान रहेगी और दोनों कार्यक्रमों में वितरित की जाएगी।

संकल्प संख्या 2025/232/2:	यह निर्णय लिया गया कि दो एम.टेक. कार्यक्रमों अर्थात् एम.टेक. (फाइबर विज्ञान और प्रौद्योगिकी) और एम.टेक. (टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग) को एक एकल कार्यक्रम, एम.टेक. (फाइबर इंजीनियरी और टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग) में विलय करने के लिए वस्त्र और फाइबर इंजीनियरी विभाग के प्रस्ताव के संबंध में बीईआरपी की सिफारिशों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को अनुशंसित किया जाए।

मद संख्या 5: पॉलिमर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में एम.टेक. को बंद करने और मौजूदा एम.टेक. कार्यक्रम के भीतर एक विशेषज्ञता के रूप में इसके एकीकरण के प्रस्ताव पर विचार करना, जैसा कि पदार्थ विज्ञान एवं इंजीनियरी विभाग द्वारा प्रस्तावित है।

सीनेट ने एम.टेक. में पॉलिमर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम को बंद करने तथा मौजूदा एम.टेक. कार्यक्रम के भीतर एक विशेषज्ञता के रूप में इसके एकीकरण के लिए पदार्थ विज्ञान एवं इंजीनियरी विभाग के प्रस्ताव के संबंध में बी.ए.पी. की सिफारिशों पर विचार किया।

विचार-विमर्श के बाद, प्रस्ताव को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को अनुशंसित किया गया।

संकल्प संख्या 2025/232/3:	यह निर्णय लिया गया कि पॉलिमर विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में एम.टेक. को बंद करने और मौजूदा एम.टेक. कार्यक्रम के भीतर एक विशेषज्ञता के रूप में इसके एकीकरण के लिए पदार्थ विज्ञान एवं इंजीनियरी विभाग के प्रस्ताव के संबंध में बीएपी की सिफारिशों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को अनुशंसित किया जाए।

मद संख्या 6: रसायन विज्ञान विभाग द्वारा रसायन विज्ञान में एक नए स्नातक कार्यक्रम, बी.एस. के प्रस्ताव पर विचार करना

सीनेट ने रसायन विज्ञान विभाग द्वारा रसायन विज्ञान में बी.एस. का एक नया स्नातक कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव पर बीएपी की सिफारिशों पर विचार किया। सीनेट को बताया गया कि प्रति वर्ष कुल 40 छात्र प्रवेश लेंगे। इस कार्यक्रम में प्रवेश केवल जेईई (एडवांस्ड) परीक्षा के माध्यम से होगा।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। विचार-विमर्श के बाद, सीनेट ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को प्रस्ताव की अनुशंसा की। यह भी निर्णय लिया गया कि बी.एस. कार्यक्रम बी.टेक. कार्यक्रम के समान ही होगा। यह भी बताया गया कि बी.एस. कार्यक्रम के पाठ्यक्रम के खाके बाकी यूजी कार्यक्रमों के साथ सीनेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएँगे।

संकल्प संख्या 2025/232/4:	यह निर्णय लिया गया कि रसायन विज्ञान विभाग द्वारा रसायन विज्ञान में बी.एस. का एक नया स्नातक कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव के संबंध में बीएपी की सिफारिशों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भेजा जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि बी.एस. कार्यक्रम बी.टेक. कार्यक्रम के समान ही होगा।

मद संख्या 7: यू.जी.सी.आई.सी. की सिफारिशों पर विचार करना

सीनेट ने यू.जी.सी.आई.सी. की सिफारिशों पर चर्चा की और निम्नलिखित निर्णय लिए:

1. बीबी1 कार्यक्रम में एक रसायन विज्ञान और एक जीव विज्ञान बीएस पाठ्यक्रम के बदले में दो रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम लेने की छूट देने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी।
2. पर्यावरण एवं स्थिरता (ई एंड एस): सीनेट ने महसूस किया कि प्रत्येक स्नातक को अपने कार्यक्रम के एक भाग के रूप में पर्यावरण एवं स्थिरता की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। यदि ई एंड एस घटक एयू द्वारा प्रस्तावित मुख्य पाठ्यक्रमों (कम से कम 5 क्रेडिट) का हिस्सा है, तो ई एंड एस पाठ्यक्रम को अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, यदि ऐसा नहीं है, तो छात्र को ई एंड एस पाठ्यक्रमों की सूची में से ई एंड एस पर कम से कम 2 क्रेडिट का पाठ्यक्रम लेना होगा। यह निर्णय लेने के लिए एक समिति गठित की जाएगी कि कौन से पाठ्यक्रम को मुख्य पाठ्यक्रम के साथ-साथ पृथक ई एंड एस पाठ्यक्रम में ई एंड एस घटक के रूप में मान्यता दी जाएगी।

   सीनेट ने यह भी निर्णय लिया कि यूजी कार्यक्रमों के लिए कुल क्रेडिट की संख्या वही रहेगी अर्थात 142-158 क्रेडिट।

मद संख्या 8: ऑप्टिक्स एवं फोटोनिक सेंटर द्वारा फोटोनिक्स में एम.टेक. एवं एमएस (आर) के प्रस्ताव पर विचार करना

सीनेट ने प्रकाशिकी और फोटोनिक्स केंद्र द्वारा फोटोनिक्स में एम.टेक और एमएस(आर) शुरू करने के प्रस्ताव के संबंध में बीएपी की सिफारिशों पर विचार किया।

विचार-विमर्श के बाद, प्रस्ताव को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भेजा गया। यह भी निर्णय लिया गया कि तीन वर्षों के बाद एक समिति इस कार्यक्रम का विश्लेषण करेगी।

संकल्प संख्या 2025/232/5:	यह निर्णय लिया गया कि प्रकाशिकी और फोटोनिक्स केंद्र से फोटोनिक्स में एम.टेक और एमएस (आर) शुरू करने के प्रस्ताव के संबंध में बीएपी की सिफारिशों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को अनुशंसित किया जाए।

मद संख्या 9: कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी विभाग में पीएच.डी. और एम.एस. (आर) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता मानदंड के रूप में जे.ई.एस.टी. परीक्षा को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार करना।

सीनेट ने सभी शैक्षणिक इकाइयों के लिए पीएच.डी. और एमएस (आर) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता मानदंड के रूप में जे.ई.एस.टी. परीक्षा को शामिल करने के प्रस्ताव के संबंध में बीएपी की सिफारिशों पर विचार किया।

विचार-विमर्श के बाद, सीनेट ने बीएपी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। यह भी निर्णय लिया गया कि जे.ई.एस.टी. परीक्षा से चयनित स्नातक अभ्यर्थी संस्थान की फेलोशिप के पात्र होंगे।

संकल्प संख्या 2025/232/6:	यह निर्णय लिया गया कि सभी शैक्षणिक इकाइयों के लिए पीएचडी और एमएस (आर) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता मानदंड के रूप में जे.ई.एस.टी. परीक्षा को शामिल करने के प्रस्ताव के संबंध में बीएपी की सिफारिशों को मंजूरी दी जाए।

मद संख्या 10: मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.), मास्टर ऑफ साइंस (एम.एससी.) और मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी के लिए मसौदा पाठ्यक्रम अवधारणा नोट पर विचार करना।

मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.), मास्टर ऑफ साइंस (एम.एससी.) और मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी के लिए पाठ्यक्रम अवधारणा नोट का मसौदा सीनेट में प्रस्तुत किया गया।

सीनेट में अवधारणा नोट पर प्रारंभिक चर्चा हुई। समय की कमी के कारण, अवधारणा नोट को अगली सीनेट बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 11: मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मसौदा पाठ्यक्रम अवधारणा नोट पर विचार करना।

एमबीए कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम अवधारणा का मसौदा सीनेट में प्रस्तुत किया गया। सीनेट में अवधारणा नोट पर प्रारंभिक चर्चा हुई। समय की कमी के कारण, अवधारणा नोट को अगली सीनेट बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 12: नए पाठ्यक्रम के अनुसार एम.टेक. और एमएस(आर) कार्यक्रमों के टेम्पलेट पर विचार करना

सदस्यों को अवगत कराया गया कि पिछली सीनेट बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, एम.टेक और एम.एस.(आर) कार्यक्रम के टेम्पलेट सीनेटरों को उनकी टिप्पणियों/प्रतिक्रिया हेतु वितरित किए गए थे। यह भी बताया गया कि कार्यक्रम टेम्पलेट्स पर प्राप्त टिप्पणियों को शामिल कर लिया गया है।

विचार-विमर्श के बाद, सीनेट ने नए पाठ्यक्रम के अनुसार एम.टेक और एमएस(आर) कार्यक्रम के कार्यक्रम टेम्पलेट्स को मंजूरी दे दी। कार्यक्रम टेम्पलेट्स इस लिंक पर देखे जा सकते हैं: https://web.iitd.ac.in/~adcur/PGtemplates-Mar2025-I/

संकल्प संख्या 2025/232/7:	यह निर्णय लिया गया कि नए पाठ्यक्रम के अनुसार एम.टेक और एम.एस.(आर) कार्यक्रम के कार्यक्रम टेम्पलेट को अनुमोदित किया जाए।

मद संख्या 13: नए पाठ्यक्रम के अनुसार शेष एम.टेक. और एमएस(आर) कार्यक्रमों के टेम्पलेट पर विचार करना

सीनेट को सूचित किया गया कि शैक्षणिक इकाइयों से शेष एम.टेक. और एम.एस. (आर) कार्यक्रमों के लिए मसौदा कार्यक्रम टेम्पलेट्स को पीजी पाठ्यक्रम कार्यान्वयन समिति (पीजी सीआईसी) द्वारा अपनी कई बैठकों में अनुमोदित किया गया है।

चर्चा के बाद, सीनेट ने एम.टेक. और एम.एस. (आर) कार्यक्रम के टेम्पलेट सीनेटरों को टिप्पणियों/प्रतिक्रिया के लिए वितरित करने का निर्णय लिया। यह निर्णय लिया गया कि अंतिम प्रस्ताव सीनेट की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

मद संख्या 14: अनुसमर्थन मद

I. क्वांटम और एआई एकीकरण के साथ उन्नत संचार इंजीनियरिंग में ऑनलाइन पीजी डिप्लोमा के संबंध में प्रस्ताव पर विचार करना।
सीनेट ने सीईपी के माध्यम से क्वांटम और एआई एकीकरण के साथ उन्नत संचार इंजीनियरी में ऑनलाइन पी.जी. डिप्लोमा शुरू करने के लिए सीनेट अध्यक्ष द्वारा दी गई मंजूरी की पुष्टि की।

मद संख्या 15: सूचना मद

I. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए यूजी सीट मैट्रिक्स की जानकारी देना
सीनेट ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए यूजी सीट मैट्रिक्स (परिशिष्ट I) पर ध्यान दिया।

अध्यक्ष ने बैठक में भाग लेने के लिए सदस्यों और विशेष आमंत्रितों को धन्यवाद दिया।